

यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं सुश्री सरुनी शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.07.2018 से 27.07.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीया एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.01.17 से 28.01.17 तक श्री अमर नाथ साहू, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 08/2014 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 08/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: क्रियाकलाप-लाईसेन्स, रजिस्ट्रेशन, कर संग्रह इत्यादि

भौगोलिक अधिकारी क्षेत्र- जनपद हरिद्वार की रुड़की, भगवानपुर एवं लक्सर तहसील का सम्पूर्ण भाग।

(ii) (अ) राजस्व विवरण:

विगत तीन वर्षों मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	2208.83
2016-17	3217.68
2017-18	3991.59

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधि क्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थाप ना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	-	-	36.16	36.16	-	-
2016-17	-	-	-	-	45.26	45.26	-	-
2017-18	-	-	-	-	59.47	59.47	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय से किया जाता है। राजस्व संग्रह को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A'... श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव- आयुक्त - अपर आयुक्त- सहायक आयुक्त- R.T.O- A.R.T.O- T.T.O

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूड़की को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - माह 10/2016 , 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - माह 03/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-1: वाहनों से कर की वसूली न किया जाना ` 4.23 लाख व शास्ति ।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा-4(1), (1-क) व (2) के अनुसार वाहनों का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बंध में ऐसी दर पर जैसे कि राज्य सरकार द्वारा गज़ट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक कर अथवा त्रैमासिक या मासिक कर (जैसा भी लागू है) का भुगतान न कर दिया गया हो। धारा-9(तीन) के अनुसार धारा-4 की उपधारा-2 के अधीन संदेय कर त्रैमास के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती कलेंडर माह के पंद्रह तारीख या उसके पूर्व या प्रत्येक अगले अनुवर्ती त्रैमास के प्रथम कलेंडर माह के पंद्रह तारीख या उसके पूर्व संदेय होगा। धारा-20(1) के अनुसार देय किसी कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व के बकायों की भाँति वसूलनीय होगा; उपधारा-3 के अनुसार कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकायों के लिए यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में माँग करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।

अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दर उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं. 1015/ix-1/106/2012 दिनांक 29.11.2012 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी जो कि दिनांक 01.12.2012 से प्रभावी थी:

क्रम सं.	यान का विवरण	त्रैमासिक कर की दर (रु में)	वार्षिक कर की दर (रु में)
1	(क) मोटर कैब (दुपहिया एवं तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए	430	1700
	(ख) मैक्सी कैब के प्रत्येक सीट के लिए	510	1900
2	मालयान, जिनका सकलयान भार 3000 कि.ग्रा. से अधिक है, के सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए	230	850
4	संनिर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से निर्मित यान, जो व्यावसायिक उद्देश्य से पंजीकृत हो अथवा उपयोग में लाये जाएँ, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए	500	1800
7	शिक्षण संस्थान बस या निजी सेवा यान या स्कूल कैब की प्रत्येक सीट के लिए	90	320

अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2क) के अधीन सार्वजनिक सेवा-यानों पर कर की दर अधिसूचना संख्या। 136/ix-1/106/2013 दिनांक 06.02.13 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी:

क्रम सं.	यान का विवरण	मासिक कर की दर (रु में)
2 (1क)	मंजिली गाड़ी द्वारा एक माह में तय की गयी दूरी के लिए (मैदानी)	85/सीट

अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1-क) के अधीन माल यान पर कर की दर निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी:

क्रम सं.	यान का विवरण	वार्षिक कर की दर (रु में)
3	मालयान जिनका सकल भार 3000 कि. ग्रा. से अनधिक हो, पर सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए	1000

अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1-क) के अधीन परिवहन यान पर कर की दर शासनादेश संख्या 07/ix-1/106/2012 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी एवं जो कि दिनांक 03.01.2014 से प्रभावी थी:

क्रम सं.	यान का विवरण	वार्षिक कर की दर (रु में)
2 (क)	ड्राइवर को छोड़कर 03 से अधिक और 06 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाले तिपहिया मोटर कैब के प्रत्येक सीट के लिए	845/वर्ष

उक्त अधिनियम की धारा-9(3) अन्तर्गत जहाँ किसी मोटरयान के सम्बंध में कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाए वहाँ देय कर के अतिरिक्त (देय धनराशि के अनधिक) शास्ति देय होगी। आगे, मोटर कराधान नियमावली, 2003 के नियम 24(2) के अनुसार कर जमा न किए जाने पर देय कर की धनराशि के 50% के बराबर शास्ति भी देय होगी।

कार्यालय सहा. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वाहनों के कर संबन्धित पत्रावलियों व अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि **संलग्नक-I** व **संलग्नक-II** के अनुसार 18 माल वाहनों व 25 यात्री वाहनों द्वारा देय कर लेखापरीक्षा तिथि (07/2018) तक जमा नहीं कराया गया था। कर जमा न कराये जाने से विभाग को संलग्न विवरण अनुसार क्रमशः रु 1,36,620/- व रु 2,86,802/- (कुल रु 4,23,422/-) (03/2018 तक) कर के रूप में प्राप्त नहीं हुये थे। उक्त के अतिरिक्त इन वाहनों पर नियमानुसार शास्ति भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा कि समस्त वाहनों से कर की वसूली कर अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"**प्रस्तर- 2: फिटनेस नवीनीकरण न कराये जाने से राजस्व अवरोधन ` 4.14 लाख।**

केंद्रीय मोटर-यान नियमावली, 1989 के नियम 62(2) के अन्तर्गत वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण किए जाने का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 894 दिनांक 29.12.2016 के बिन्दु 81 के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने या उसका नवीनीकरण करने के लिए किसी यान के परीक्षण का संचालन किए जाने हेतु हल्के वाहन के लिए ` 400/-, मध्यम एवं भारी वाहन के लिए ` 600/- फीस के साथ-साथ मोटर-यानों की फिटनेस के लिए प्रमाण-पत्र अनुदत्त करना या उसका नवीनीकरण हेतु ` 200/- फीस भी देय है। फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए ` 50/- की अतिरिक्त फीस भी देय है।

कार्यालय सहा. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूड़की के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वाहनों के फिटनेस सम्बन्धी अभिलेखों व उपलब्ध सूचना की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (07/2018) 15 माल वाहनों व 14 यात्री वाहनों (कुल 29 वाहनों) की फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। फिटनेस का नवीनीकरण न किए जाने से विभाग द्वारा ` 20,800/- फिटनेस फीस के साथ-साथ ` 3,92,750/- अतिरिक्त/विलम्ब फीस (कुल ` 4,13,550/-) के रूप में वसूल नहीं किए गए थे (03/2018 तक) (विवरण संलग्नक-I व II)।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि वाहन स्वामियों द्वारा जब कार्यालय में फिटनेस कराया जायेगा तब फिटनेस फीस पेनल्टी के साथ जमा करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संबन्धित वाहन कार्यालय में अभ्यर्पित नहीं थे एवं उनका संचालन बिना फिटनेस के किया जा रहा था।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-3: समर्पित वाहनों से कर की वसूली न किया जाना ` 0.10 लाख ।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम-22 में मोटरयान के अनुपयोग की दशा में वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान को कराधान अधिकारी के समक्ष अभ्यर्पित किए जाने का प्रावधान किया गया है। नियम 22(4) के अनुसार कराधान अधिकारी किसी भी यान के अनुपयोग की सूचना को एक कलेंडर वर्ष में एक समय में तीन कलेंडर माह से अधिक समय के लिए स्वीकृत नहीं करेगा। फिर भी यदि यान का स्वामी एक सौ रुपये शुल्क के साथ आवेदन करे तो कराधान अधिकारी द्वारा पुनः तीन कलेंडर माह की अवधि के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। परंतु, किसी भी दशा में यान एक कलेंडर वर्ष में छः माह से अधिक अवधि के अभ्यर्पण की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। यदि ऐसा कोई यान अभ्यर्पण की स्वीकृति की अवधि बढ़ाए बिना एक कलेंडर वर्ष में तीन कलेंडर माह से अधिक समय के लिए अभ्यर्पित रखता है तो इसे प्रतिसंहत किया हुआ समझा जायेगा और यान का स्वामी कर का देनदार होगा।

कार्यालय सहा. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूडकी के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में अभ्यर्पित वाहनों की पत्रावली एवं अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में समर्पित 02 वाहनों से निम्नानुसार कर की वसूली नहीं की गयी थी:

S. No	Registration No	Type of Veh	GVW	Weight in Ton	Weight R/O in next no.	No. of Seats	Nos of seats on which tax is payable	Tax Due Period		No. of Quarters	Nos. of Months	Rate of Tax/ton/qtr or per seat/qtr	Rate of Tax/ton/qtr or per seat/month	Tax Due
								From	To					
1	UK17PA0072	BUS				54	53	30.08.17	31.03.18	3		90	30	4770
2	UK17CA0708	GV	16200	16.20	17			30.12.17	31.03.18		4	230	77	5213
Total													9983	

वाहन स्वामियों द्वारा तीन कलेंडर माह की अवधि के उपरान्त भी निर्धारित शुल्क जमा न करते हुये समर्पण अवधि बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी एवं वाहन तीन कलेंडर माह से अधिक की अवधि के उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि (07/2018) तक समर्पित थे। परन्तु, कार्यालय द्वारा नियमानुसार रु 9983/- (03/2018 तक) का कर अधिरोपित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त देय कर पर नियमानुसार शास्ति भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा इस सम्बंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
70/ARTO/2016-17	01	01 & 02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V**आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताए:**
टिप्पणी- शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1	श्री शैलेश तिवारी	ARTO

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूड़की** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्त के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र